समक्ष मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या **165** **सन 2021**

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

श्रीमान जी,

निवेदन है कि उपरोक्त मामलें में दिनांक 30–05–2022 को सुनवाई हेतु तिथि नियत है, उक्त मामलें में प्रार्थी व सहयोगियों को पैरवी करने व प्रेषित की गई रिपोर्टों पर आपत्ति दर्ज करने और साक्ष्य एकत्रित करने से रोकने के लिए मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित महोदय, आदि द्वारा प्रार्थी व सहयोगियों (परिवार सहित) के ऊपर षड्यंत्र के तहत आपराधिक घटनाएं घटित कर रहें है, जानलेवा हमलें करवा रहे है, जान से मारने की धमकी दे रहें है और झूठे मुकदमें दर्ज करवाकर पुलिस द्वारा उत्पीड़न कर रहे है। जिसके कारण प्रार्थी (परिवार सहित) शारीरिक व मानसिक उत्पीड़ित है।

उपरोक्त मामलें में पैरवी कर रहे प्रार्थी के सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किये गए झूठे मुकदमें और गंभीर आपराधिक झूठे मुकदमे में फंसाने एवं जान से मारने की धमकियों के कारण सहयोगियों व अन्य व्यक्तियों ने किसी भी तरह की शिकायत और पैरवी करना बंद कर दिया है, अब केवल प्रार्थी ही उपरोक्त मामलें में पैरवी कर रहा है। जिसके कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जानलेवा हमलें किए जा रहे है। और घर–बार छोड़ जाने की धमकी दी जा रही है, प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार पर कई तरह से उत्पीड़न, अत्याचार कर और प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के उपर मनगढ़ंत आरोप लगाकर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित एवं समाज में बदनाम कर रहें है। प्रार्थी के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है, झूठे मुकदमें लगने के कारण प्रार्थी के घर के पुरुषों का घर पर रहना और मेहनत मजदूरी करना दूभर हो गया है, संविधान में प्रदत्त जीवन जीने के समस्त मौलिक अधिकारों/मानवाधिकारों को छीना जा रहा है, जिससे पूरे परिवार की जिन्दगी बद से बत्तर हो गई है। जिसकी प्रार्थी ने पुलिस विभाग व शासन प्रशासन स्तर पर शिकायतें की गई है।

उक्त शिकायतों पर कार्यवाही न होने और सुरक्षा न मिलने पर प्रार्थी ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, व माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। व माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मा. सर्वोच्च न्यायालय, भारत, नई दिल्ली। व माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली। व माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मा. उच्च न्यायालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को शिकायतें की गई है। **उपरोक्त शुकायतों की प्रतिलिपि संलग्न है।**

उपरोक्त मामलें में पैरवी कर रहे प्रार्थी व सहयोगियों के खिलाफ संबंधित अतिक्रमणकारी और अधिकारीगण मिलकर झूठे केसों की कार्यवाही और जानलेवा हमलें कर इसलिए प्रताड़ित किया जा

रहा है। ताकि इन अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों/कब्जों को बचाया जा सकें और भविष्य में कोई इन अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों/कब्जों की शिकायत करने की कोई हिम्मत न कर सकें। **दिनांक 13 मार्च 2022 को झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित द्वारा प्रार्थी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने वीडिओ व फोटो संलग्न है।**

श्रीमान जी यदि धरती के पर्यावारण को प्रदूषित होने से बचाना है तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु सुरक्षित/प्रस्तावित की गई नदी, तालाब, वन, हरित पट्टी, पार्क आदि की भूमियों को अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों/कब्जों को मुक्त कराकर हर हाल में बचाना ही होगा। लेकिन धरती का पर्यावारण प्रदूषित होने से कैसे बचेंगा, जब पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु सुरक्षित/प्रस्तावित की गई जमीनों को अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों/कब्जों से बचाने के लिए लड़ने वालों पर झूठे मुकदमें दर्ज करवाकर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जायेगा। जिसके कारण प्रार्थी उपरोक्त मामलें में पैरवी करने व प्रेषित की गई रिपोर्टों पर आपत्ति दर्ज करने और साक्ष्य एकत्रित करने और उक्त नियत तिथि को प्रार्थी मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में उपस्थित होने व रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करने में असमर्थ है।

ऐसी स्थिति में पैरवी कर रहे प्रार्थी व प्रार्थी के सहयोगियों को जान माल की सुरक्षा प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा उपरोक्त संबंधित अतिक्रमणकारी और अधिकारीगण के द्वारा पैरवी कर रहे प्रार्थी व प्रार्थी के सहयोगियों को कई झूठे मुकदमें लगाकर जेल भेज दिया जायेगा या हत्या कर दी जायेगी, जिससे हरित क्षेत्रों की भूमियों पर अतिक्रमण करने वालों के होसलें बढ़ते जायेगें तथा पर्यावरण को बचाने का उद्देश्य भी विफल हो जायेगा।

अतः श्रीमान जी, से निवेदन है कि उपरोक्त मामलें में पारित आदेश दिनांक 25–01–2022 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्टो पर आपत्ति देने हेतु समय प्रदान करते हुए व उपरोक्त मामलें में पैरवी कर रहे प्रार्थी (परिवार सहित) व प्रार्थी के सहयोगियों को जान माल की सुरक्षा प्रदान कराने की कृपा करें ताकि प्रार्थी उपरोक्त मामलें में निर्भय होकर पैरवी कर सकें व आपत्ति दे सकें।

इस कृपा के लिए श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

दिनांक 26–05–2022

प्रार्थी

नरेन्द्र कुशवाहा

नरेन्द्र कुशवाहा

मो. 9452041529

1. माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
   भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,
   मा. सर्वोच्च न्यायालय, भारत, नई दिल्ली।

3. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,
   मा. उच्च न्यायालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

4. माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
   भारत सरकार, नई दिल्ली।

5. माननीय राज्यपाल महोदय,
   उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

6. माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय
   मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।

रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई शिकायतें ।

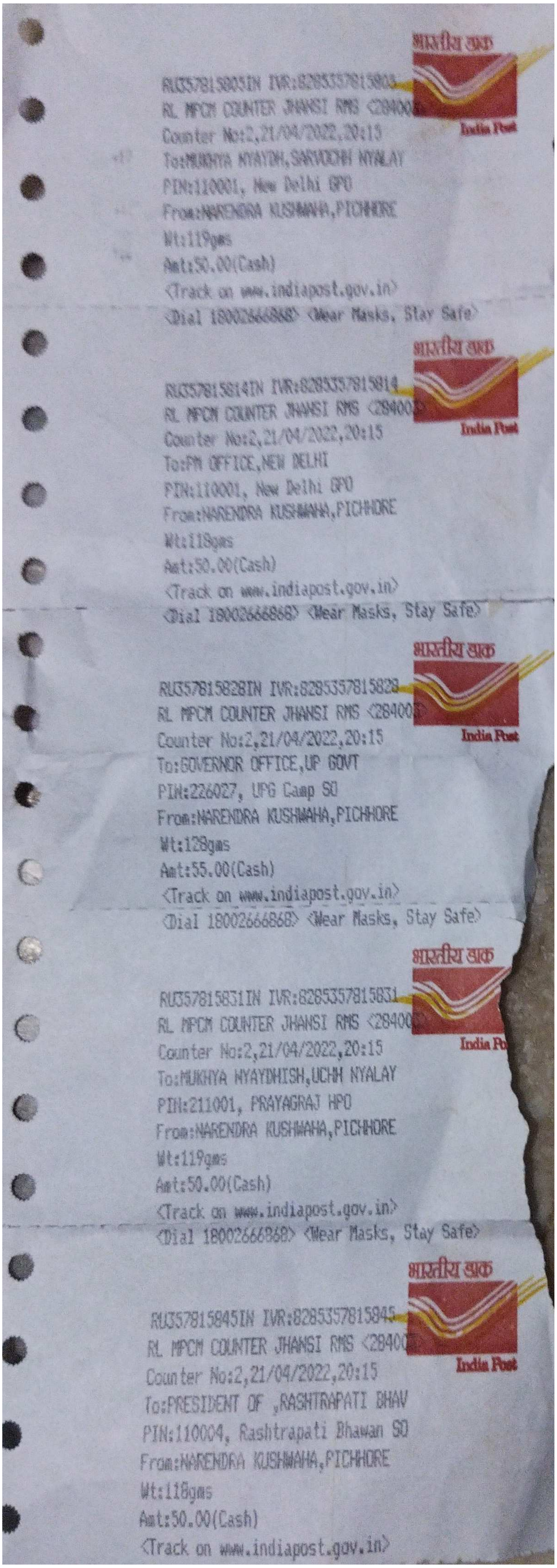

RU357815805IN IVR:8285357815805
RL MPCM COUNTER JHANSI RMS <28400
Counter No:2,21/04/2022,20:15
To:MUKHYA NYAYDH,SARVOCHH NYALAY
PIN:110001, New Delhi GPO
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:119gms
Amt:50.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU357815814IN IVR:8285357815814
RL MPCM COUNTER JHANSI RMS <28400
Counter No:2,21/04/2022,20:15
To:PM OFFICE,NEW DELHI
PIN:110001, New Delhi GPO
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:118gms
Amt:50.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU357815828IN IVR:8285357815828
RL MPCM COUNTER JHANSI RMS <28400
Counter No:2,21/04/2022,20:15
To:GOVERNOR OFFICE,UP GOVT
PIN:226027, UPG Camp SO
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:128gms
Amt:55.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU357815831IN IVR:8285357815831
RL MPCM COUNTER JHANSI RMS <28400
Counter No:2,21/04/2022,20:15
To:MUKHYA NYAYDHISH,UCHH NYALAY
PIN:211001, PRAYAGRAJ HPO
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:119gms
Amt:50.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU357815845IN IVR:8285357815845
RL MPCM COUNTER JHANSI RMS <28400
Counter No:2,21/04/2022,20:15
To:PRESIDENT OF ,RASHTRAPATI BHAV
PIN:110004, Rashtrapati Bhawan SO
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:118gms
Amt:50.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

119

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE
25 APR 2022
डाक अनुभाग / DAK SECTION

दिनांक 19.04.2022

विषय :– झांसी महानगर के पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु प्रस्तावित नगर पार्क के अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों के खिलाफ मा0 एनजीटी नई दिल्ली में प्रार्थी द्वारा दायर याचिका में पैरवी करने से रोकने के लिए, अवैध प्लॉटिंग एवं अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वाले और उपरोक्त कार्य कराने में संलिप्त अधिकारियों द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार पर किए जा रहे जानलेवा हमलें, उत्पीड़न, अत्याचार के संबंध में,

महोदय जी,

सविनय निम्न निवेदन है :–

1. यह कि प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा, (पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता) पता –पिछोर, थाना नबावाद, जिला झांसी (उत्तर प्रदेश) का निवासी है।

2. यह कि झांसी के पर्यावरण का संतुलन बनाएं रखने और प्रदूषण से बचाने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों पर भू–माफिया, अतिक्रमणकर्ता और झांसी प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध प्लॉटिंग कर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको बचाने के लिए प्रार्थी प्रयासरत कार्य कर रहा है।

3. यह कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के अंतर्गत जीवनदायी पर्यावरण को बचाने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य और केंद्र सरकार स्तर पर और मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में प्रार्थी ने अन्य सहयोगियों (पर्यावरण/सामाजिक कार्यकर्ता) के साथ मिलकर शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। उक्त शिकायतों पर मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में मूल प्रार्थना पत्र संख्या 114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व मूल प्रार्थना पत्र संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय, बी.एल. भास्कर, नरेन्द्र कुशवाहा व प्रदीप कुमार नामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किये है। जिसमें मा. न्यायाधिकरण द्वारा लक्ष्मी तालाब व नगर पार्क के अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों की जांच व कार्यवाही हेतु आदेश पारित किये गए है।

cs/ur/96

4. यह कि उपरोक्त शिकायतों/कार्यवाहीयों के कारण अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने/कराने वाले भू–माफिया, अतिक्रमणकर्ता और उपरोक्त कार्य कराने में संलिप्त झांसी प्रशासन एवं जेडीए और संबंधित विभागों के अधिकारीगण प्रार्थी व सहयोगियों से रंजिश रखने लगे है जो प्रार्थी को उक्त मामलों में पैरवी करने से रोकने के लिए प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार पर षड्यंत्र कर जानलेवा, आपराधिक घटनाएं घटित कर रहे है।

5. यह कि मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पूर्व पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के क्रम में गठित समिति द्वारा मनगढ़त, भ्रामक स्थलीय आख्या प्रस्तुत की गई थी जिसकी साक्ष्य सहित आपत्ती दी थी दिनांक 25.01.2022 को सुनवाई के दौरान मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा उक्त आपत्ती और आख्या की जांच करने हेतु समिति गठित करने का आदेश पारित किया गया है, जिससे मनगढ़त, भ्रामक स्थलीय आख्या प्रस्तुत करने वाले अधिकारीगण जांच के घेरे में आ जाने और प्रार्थी द्वारा उपरोक्त केसों में साक्ष्य प्रेषित करने हेतु आरटीआई के तहत झांसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, कार्यालय जिलाधिकारी झांसी और कार्यालय मंडलायुक्त झांसी के जन

नरेन्द्र कुशवाहा

सूचना अधिकारियों से सूचनाएं मांग कर साक्ष्य इकट्ठा करने आरटीआई दायर कर दी जिसके कारण तथाकथित स्थलीय आख्या दिनांकित 22 नवम्बर 2021 प्रेषित करने वाले समस्त सदस्य और जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, ए.टी.पी. जितेन्द्र सिंह एवं जेडीए के अन्य अधिकारी–कर्मचारी जो अवैध निर्माण कराने में संलिप्त और अवैध निर्माणकर्ता याचिकाकर्ताओं से व्यक्तिगत रंजिश रखने लगे है। ये सभी प्रार्थी और सहयोगी याचिकाकर्ताओं को पैरवी करने से रोकने के लिए कई माध्यमों से परेशान कर रहे है और उपरोक्त की बात प्रार्थी द्वारा न मानने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है। जिसका शिकायती पत्र दिनांक 25.02.2022 को याचिकाकर्ताओं ने श्रीमान् मंडलायुक्त महोदय, झांसी व श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी व श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय, जिला झाँसी, को दिया गया था।

6. यह कि दिनांक 13 मार्च 2022 को सुबह लगभग 11:55 बजे जब प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा व प्रार्थी के पिता व भाई घर पर नहीं थे तभी रंजिशन मानने वाले जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव, त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह व जेडीए के अज्ञात अधिकारियों–कर्मचारियों के साथ अवैध निर्माणकर्ता लेकर प्रार्थी के घर पर आये और प्रार्थी का नाम लेकर धमकी देने लगे और जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित ने डंडा लेकर प्रार्थी के घर पर लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया और दूसरा सीसीटीवी कैमरा पुलिस कर्मियों ने डंडा मारमार कर तोड़ दिया जब तक कैमरे टूटे नहीं तब तक इन लोगों की पूरी फिल्म कैमरे में रिकॉर्ड होती रही, कैमरे तोड़ने के बाद पदनीयती से जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित प्रार्थी घर के अन्दर बुरी नियत से प्रार्थी की माता व महिलाओं को ढक्का देते हुए व झंझोरते हुए जेडीए के कर्मचारियों के साथ कमरों के अन्दर घुस कर प्रार्थी को तलाशा महिलाओं के द्वारा रोकने पर आंतरिक शारीरिक सम्पर्क कर आपराधिक बल का प्रयोग महिलाओं के साथ किया, जिससे उन महिलाओं की लज्जा भंग हुई। उपरोक्त की घर में घुसने तक की घटना सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देखा जा सकता है।

7. यह कि उपरोक्त जेडीए के अधिकारियों–कर्मचारियों का ये सरकारी कार्य नहीं है कि वे महिलाओं गंदी गंदी गालियां दें, जान से मारने की धमकी दें, सबूत मिटाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा तोड़े, प्रार्थी के घर की महिलाओं को बदनियती से पकड़े, महिलाओं की लज्जा भंग करें, इस प्रकार झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह और उक्त घटना में संलिप्त जेडीए के अधिकारियों–कर्मचारियों व साथ आये अज्ञात पुलिस कर्मियों ने जघन्य, संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टता कारित किया गया है। इन अधिकारीगणों ने सरकारी पदीय कर्तव्य से हटकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए पदीय कर्तव्यों के विमुख अपराध कारित किया है। घटना की दिनांक से लगातार प्रार्थी ने पुलिस एवं अधिकारियों को शिकायतें दी। अभी तक इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नही की गई है।

8. यह कि 13 मार्च 2022 को प्रार्थी के घर किये गए आपराधिक कृत्य से बचने और प्रार्थी पर दबाव बनाने हेतु झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने विनोद वंशकार एवं उसके साथियों से मिलकर झूठी शिकायत कर रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रेरित किया है। और आश्वासन दिया है कि उनके अवैध निर्माण गिराये नहीं जायेगें। वे नरेन्द्र कुशवाहा के पूरे परिवार के खिलाफ एस.सी./एस.टी. एक्ट की रिपोर्ट लिखवा दें। इस तरह षड्यंत्र कर दिनांक 14.03.2022 की झूठी घटना तैयार कराकर दिनांक 16.03.2022 को प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ थाना नवाबाद में अपराध संख्या–114/22 धारा–323, 504, 506, 452, 387 आई.पी.सी. व 3(2) एस.सी./एस.टी. एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

9. यह कि दिनांक 28 मार्च 2022 को झांसी महानगर के पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने हेतु शासन द्वारा झाँसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क को विकसित कराने को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कचहरी के पास गांधी उद्यान में जन जागरूकता, हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत

नरेन्द्र कुशवाहा

लगभग 12:00 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे थे तभी नगर पार्क में प्रस्तावित मौजा पिछोर के आराजी संख्या 753, 754, 755, 818 से 821 तक 826 से 842 आदि में अवैध रूप से प्लाट बेचने वाले हरिदास, अर्जुन सिंह पुत्र स्व. भगवान दास व अवैध निर्माण करने/कराने वाले सुदीप दिक्षित, साधना पटेल के नेतृत्व में जगत सिंह यादव, वीरसिंह पाल, विनोद वंशकार, रविन्द्र कुशवाहा, गुल्लू अहिरवार, सोनू राजपूत, मन्जू कुशवाहा, गिरजा देवी, सुनिता शर्मा आदि दर्जनों महिला–पुरुष एक राय होकर आए और अचानक बैनर पोस्टर व हस्ताक्षर अभियान पत्र छीनकर फाड़ते हुए प्रार्थी पर जानलेवा हमला कर दिया, प्रार्थी के साथ उपस्थित समाजसेवी व अधिवक्ताओं ने प्रार्थी को किसी तरह उक्त लोगों से बचाया। उक्त हमले में हरिदास व अर्जुन सिंह व विनोद वंशकार व सुदीप दिक्षित उर्फ महाराज ने प्रार्थी को धमकी देते हुए कहा कि तुझे नगर पार्क निर्माण के संबंध में पैरवी करने से रोका था और समझाया था कि पैरवी करना बंद कर दे वरना परिवार सहित जान से मरवा दिया जाएगा, तेरे और तेरे परिवार पर अभी एक ही झूठा मुकदमा लगाया है आगे और भी कई झूठे गंभीर मुकदमें लिखवा देगें, जहां भी तू मिला वहां जान से मार देंगे। इस घटना में मेरी तथा मेरे साथियों की जान भी जा सकती थी महोदय इसके पूर्व भी प्रार्थी पर जानलेवा हमले किये गये है, उक्त जानलेवा हमलों की कार्यवाही हेतु एवं जानमाल की सुरक्षा की गुहार प्रार्थी उच्च अधिकारियों से लगा चुका है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं गई है।

10. यह कि दिनांक 28 मार्च 2022 को घटित घटना की और जानमाल की सुरक्षा कराने की मांग का लिखित शिकायती पत्र लेकर जब शाम को प्रार्थी श्रीमान मंडलायुक्त महोदय, झांसी के पास गया तो उन्होंने प्रार्थी से मिलने से साफ मना कर दिया प्रार्थी ने मोबाइल पर कॉल करके भी निवेदन किया गया और जब प्रार्थी श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी से मिलने आवास पर गया तो उन्होंने भी प्रार्थी से मिलने से साफ मना कर दिया तो प्रार्थी ने मोबाइल पर कॉल करके मिलने का आग्रह किया और कहा कि प्रार्थी पर जानलेवा हमला किया गया है व आज जान से मारने की धमकी दी गई है मेरा आपसे मिलना बेहद जरूरी है, मैं आपके आवास के बाहर गेट पर आपसे मिलने की प्रतिक्षा कर रहा हूं कुछ समय बाद श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय ने पुलिस बुलाकर दिनांक 16.03.2022 को थाना नवाबाद में अपराध संख्या–114/22 लिखाएं गये झूठे केस में प्रार्थी को आवास के गेट पर से गिरफ्तार करवा दिया।

11. **यह कि जीवनदायी पर्यावरण का संतुलन बनाने रखने और प्रदूषण से बचाने हेतु सुरक्षित की गई भूमि को आवासीय बताकर प्लॉट बेचने एवं अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग करने वाले अकरम, मुहम्मद यासीन, जफर राईन, अब्दुल करीम के सहयोगी मित्र कुलदीप अवस्थी ने दिनांक 29 मार्च 2022 को नवाबाद थाने में आकर प्रार्थी से कहा कि एनजीटी में दायर किये गए केसों में पैरवी और अवैध निर्माणों की शिकायत करना बंद कर दो वरना तुम पर और तुम्हारे परिवार पर और भी कई झूठे गंभीर आपराधिक केस लगा दिये जाएंगे, जिससे तुम लोग कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे, और तुम्हारे बच्चों का अपहरण कराके भीख मंगवाने वाले गिरोह को और महिलाओं को देह व्यापार करने वालों को बेच देगे, फिर कानून और तुम हम लोगों का कुछ नही कर पाओगे।**

12. यह कि मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली विचाराधीन उपरोक्त केसों में पैरवी कर रहे सहयोगियों ने झांसी प्रशासन और जेडीए के अधिकारियों द्वारा दी जा रही झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकियों के कारण किसी भी तरह की शिकायत और पैरवी करना बंद कर दिया है, अब केवल प्रार्थी ही उपरोक्त केसों में पैरवी कर रहा है। जिसके कारण झूठे मुकदमे लगाने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, लगातार जानलेवा हमलें किए जा रहे है।

13. **यह कि जीवनदायी पर्यावरण का संतुलन बनाने रखने और प्रदूषण से बचाने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों पर अतिक्रमण एवं अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण कराने वाले झांसी प्रशासन और जेडीए के अधिकारियों के कहने पर अतिक्रमण एवं अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति अपने अवैध**

नरेन्द्र कुशवाहा

निर्माण को बचाने की शर्त पर प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार पर षड्यंत्र कर झूठे मुकदमें लगाने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, लगातार जानलेवा हमलें किए जा रहे है। और घर पर हमलें किए जा रहे है, घर–बार छोड़ जाने की धमकी दी जा रही है, प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार पर कई तरह से उत्पीड़न, अत्याचार कर और मनगढ़ंत आरोप लगाकर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित एवं समाज में बदनाम कर रहें है। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर निकला दूभर हो गया है, झूठे मुकदमें लगाने के कारण घर के पुरुषों का घर पर रहना और मेहनत मजदूरी करना दूभर हो गया है, संविधान में प्रदत्त जीवन जीने के समस्त मौलिक अधिकारों/मानवाधिकारों को छीना जा रहा है, जिससे पूरे परिवार की जिन्दगी बद से बत्तर हो गई है।

यदि प्रार्थी या प्रार्थी के परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार पर हमला, झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले उपरोक्त व्यक्तियों के साथ साथ अवैध निर्माण कराने में संलिप्त झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों–कर्मचारियों की होगी।

महोदय जी, यहां यह उल्लेखनीय है कि झांसी के जीवनदायी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु सुरक्षित जमीनों के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों का एनजीटी में केस दर्ज कराने और केसों में पैरवी कर रहे हम लोगों पर उपरोक्तों द्वारा जानलेवा हमलें, उत्पीड़न, अत्याचार व झूठे केसों की कार्यवाही कर इसलिए प्रताड़ित किया जा रही ताकि भविष्य में कोई पर्यावरण को संतुलन बनाने रखने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों की शिकायत करने की हिम्मत न कर सकें। ऐसी स्थिति में यदि उपरोक्तों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडनायक कार्यवाही नहीं की गई तो निश्चित ही जीवनदायी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने/कराने वालों के हौसले बढ़ते जाएंगे।

प्रार्थना

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन/प्रार्थना है कि जीवनदायी पर्यावरण का संतुलन बनाने रखने और प्रदूषण से बचाने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों के अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रार्थी द्वारा मा0 एनजीटी नई दिल्ली में दायर याचिका में पैरवी करने से रोकने के लिए षड्यंत्र कर झूठे मुकदमें व जान लेवा हमला करने/कराने वाले झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, ए.टी.पी. जितेन्द्र सिंह आदि एवं उपरोक्त कार्य कराने में संलिप्त संबंधित अधिकारियों–कर्मचारियों एवं अवैध प्लॉटिंग एवं अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वाले अकरम, मुहम्मद यासीन, जफर राईन, अब्दुल करीम, कुलदीप अवस्थी, हरिदास, अर्जुन सिंह पुत्र स्व. भगवान दास सुदीप दिक्षित, साधना पटेल, जगत सिंह यादव, वीरसिंह पाल, विनोद वंशकार, रविन्द्र कुशवाहा, गुल्लू अहिरवार, सोनू राजपूत, मन्जू कुशवाहा, गिरजा देवी, सुनिता शर्मा आदि दोषियों अवैध निर्माण/अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ कठोर से कठोर दंडनायक कार्यवाही करने का आदेश पारित करने के साथ साथ उपरोक्तों द्वारा षड्यंत्र कर किये जा रहे जानलेवा हमलों उत्पीड़न और अत्याचारों से प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार की जान माल की सुरक्षा कराने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

आपकी महान कृपा होगी।

प्रार्थी

दिनांक 19.04.2022

नरेन्द्र कुशवाहा

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना कुशवाहा
(पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता)
नि. पिछोर नारायण बाग के पास,
थाना नवाबाद झांसी, उत्तर प्रदेश।
मो. 9452041529

सलंग्न प्रतिलिपि

1. मा. एनजीटी द्वारा पारित आदेश
2. पूर्व में दिए गए शिकायत पत्र
3. घटना की फोटो

सेवा में,

1. श्रीमान् मंडलायुक्त महोदय, झांसी।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी।
3. श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र झांसी।
4. श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय, जिला झाँसी।
5. श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय, थाना–नवाबाद, झांसी।

विषय :– पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने हेतु प्रस्तावित नगर पार्क को विकसित कराने के लिए शांती पूर्वक चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के दौरान प्रार्थी के उपर एक राय होकर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाबत,

महोदय,

विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी नरेंद्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मेंदान, पार्को और हरियाली आदि को बचाने के लिए प्रयासरत आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रार्थी के साथ उपस्थित समाजसेवी व अधिवक्ताओं द्वारा आज दिनांक 28 मार्च 2022 को झांसी महानगर के पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने हेतु शासन द्वारा झाँसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क को विकसित कराने को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कचहरी के पास गांधी उद्यान में जन जागरूकता, हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत लगभग 12:00 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जी की मूर्ति पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर रहे थे तभी मौजा पिछोर के आराजी संख्या 753, 754, 755, 818 से 821 तक 826 से 842 आदि में अवैध रूप से प्लाट बेचने वाले हरिदास, अर्जुन सिंह पुत्र स्व. भगवान दास व अवैध निर्माण करने/कराने वाले सुदीप दिक्षित उर्फ महाराज के नेतृत्व में जगत सिंह यादव, वीरसिंह पाल, विनोद वंशकार, रविन्द्र कुशवाहा, गुल्लू अहिरवार, सोनू राजपूत, मन्जू कुशवाहा, गिरजा देवी, सुनिता शर्मा आदि दर्जनों महिला–पुरुष एक राय होकर आए और अचानक बैनर पोस्टर व हस्ताक्षर अभियान पत्र छीनकर फाड़ते हुए प्रार्थी पर जानलेवा हमला कर दिया, प्रार्थी के साथ उपस्थित समाजसेवी व अधिवक्ताओं ने किसी तरह उक्त लोगों से बचाया।

उक्त हमले में हरिदास व अर्जुन सिंह व विनोद वंशकार व सुदीप दिक्षित उर्फ महाराज ने प्रार्थी को धमकी देते हुए कहा कि तुझे नगर पार्क निर्माण के संबंध में पैरवी करने से रोका था और समझाया था कि पैरवी करना बंद कर दे वरना परिवार सहित

.....2

नरेन्द्र कुशवाहा

जान से मरवा दिया जाएगा, तेरे और तेरे परिवार पर अभी एक ही झूठा मुकदमा लगाया है आगे और भी कई झूठे गंभीर मुकदमें लिखवा देगें, जहां भी तू मिला वहां जान से मार देंगे।

आज इस हमले में मेरी तथा मेरे साथियों की जान भी जा सकती थी महोदय इसके पूर्व भी प्रार्थी पर जानलेवा हमले किये गये है, उक्त जानलेवा हमलों की कार्यवाही हेतु एवं जानमाल की सुरक्षा की गुहार प्रार्थी उच्च अधिकारियों से लगा चुका है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं गई है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त घटना कारित करने वाले हरिदास, अर्जुन सिंह पुत्र स्व. भगवान दास व सुदीप दिक्षित उर्फ महाराज व जगत सिंह यादव, वीरसिंह पाल, विनोद वंशकार, रविन्द्र कुशवाहा, गुल्लू अहिरवार, सोनू राजपूत, मन्जू कुशवाहा, गिरजा देवी, सुनिता शर्मा आदि अज्ञात महिला व पुरुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को सुरक्षा देने की कृपा करें।

दिनांक 28.03.2022

सलंग्न :–

प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2022

प्रार्थी

नरेन्द्र कुशवाहा

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा
(आर0टी0आई0 / सामाजिक कार्यकर्ता)
नि0–पिछोर, थाना–नवाबाद, झांसी
मो0न0 9452041529

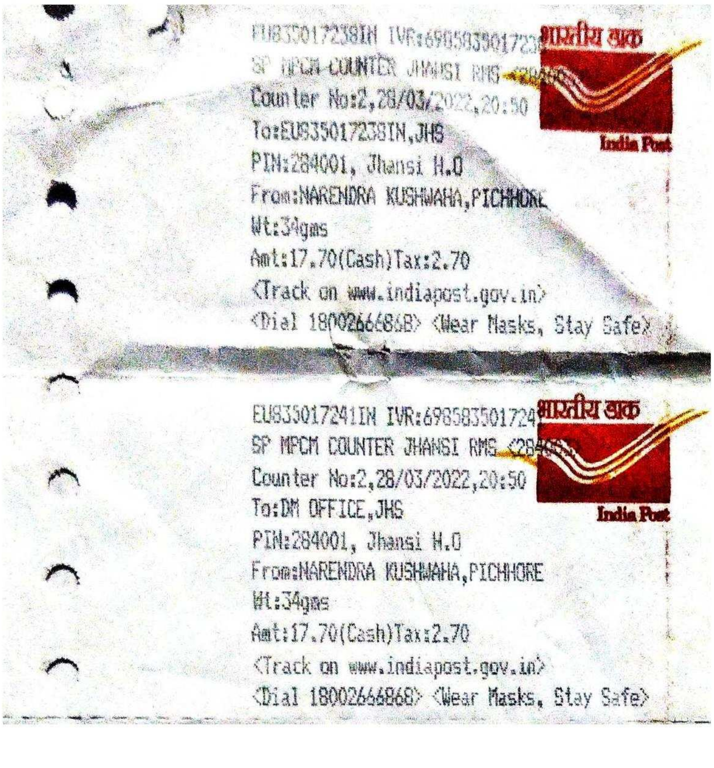
EU835017238IN IVR:69858350172
SP MPCM COUNTER JHANSI RMS <284
Counter No:2,28/03/2022,20:50
To:EU835017238IN,JHS
PIN:284001, Jhansi H.O
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:34gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU835017241IN IVR:69858350172
SP MPCM COUNTER JHANSI RMS <284
Counter No:2,28/03/2022,20:50
To:DM OFFICE,JHS
PIN:284001, Jhansi H.O
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:34gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

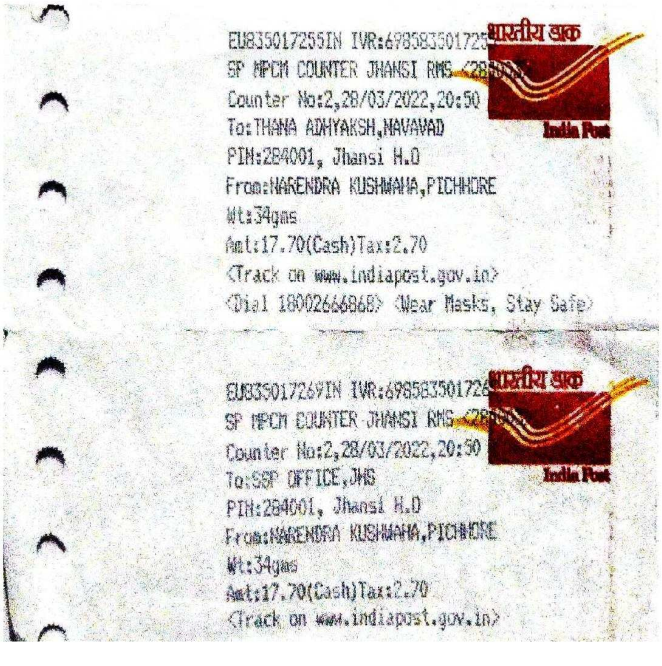
EU835017255IN IVR:69858350172
SP MPCM COUNTER JHANSI RMS <28
Counter No:2,28/03/2022,20:50
To:THANA ADHYAKSH,NAVAVAD
PIN:284001, Jhansi H.O
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:34gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU835017269IN IVR:69858350172
SP MPCM COUNTER JHANSI RMS <28
Counter No:2,28/03/2022,20:50
To:SSP OFFICE,JHS
PIN:284001, Jhansi H.O
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:34gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>

दिनांक 23.03.2022

सेवा में,

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद–झांसी।

विषय :– प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता, भाई और पुत्र के खिलाफ झूठी रिपोर्ट अपराध संख्या 114/2022 धारा 323, 504, 506, 452, 387 आईपीसी एवं 3(2)(VA) एससी/एसटी के अन्तर्गत झूठी और बदले की भावना से जेडीए उपाध्यक्ष के दबाव में लिखाई गई की निष्पक्ष जांच कराकर रिपोर्ट निरस्त कराने एवं प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ झूठी रिपोर्ट कराने वालों के खिलाफ और दिनांक 13.03.2022 को घटित घटना की एफ.आई.आर. दर्ज कराने के बाबत।

CO city

महोदय जी,

सविनय प्रार्थी निम्न निवेदन करता हैः–

1. यह कि प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा, (आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता) निवासी पिछोर थाना नबावाद झांसी का है।

2. यह कि प्रार्थी ने झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मैदान, पार्कों और हरियाली आदि को बचाने के लिए प्रयासरत आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता है।

N I P

3. यह कि प्रार्थी ने भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के अंतर्गत हरियाली और पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रहा है और मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। जिसके कारण झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मैदान, पार्कों और तालाब आदि की भूमियों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने/कराने वाले व्यक्ति एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण प्रार्थी से रंजिश रखने लगे है जो प्रार्थी को इस कार्य को करने से रोकने के लिए ऐन केन प्रकारेण, षड्यंत्र कर प्रार्थी को गंभीर चोट व छति पहुंचाने के उद्देश्य से घटनाएं घटित कर रहे है।

4. यह कि झांसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क को अतिक्रमण से मुक्त व विकसित कराने को लेकर प्रार्थी व विद्वान अधिवक्ताओं, समाजसेवियों एवं सहयोगियों के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाकार शिकायती पत्र शासन–प्रशासन को भेजा था। जिस पर कार्यवाही न होने पर प्रार्थी व विद्वान अधिवक्ताओं, समाजसेवियों एवं सहयोगियों के साथ मिलकर मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में शिकायतें की गई थी, उक्त शिकायतें पर मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा मूल प्रार्थना संख्या 114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व मूल प्रार्थना संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय व एड. बी.एल. भास्कर व नरेन्द्र कुशवाहा व प्रदीप कुमार नामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किये है। जिसमें मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली द्वारा शासन–प्रशासन से मामले की जांच कर स्थलीय आख्या (स्टेटस रिपोर्ट) प्रेषित करने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में गठित की गई समिति ने अवैध कॉलोनियां बसाने वाले भू–माफियाओं व अवैध निर्माणकर्ताओं/अतिक्रमणकर्ताओं को लाभ पहुंचाने एवं अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व अनाधिकृत कब्जों को बचाने के लिए, मात्र खानापूर्ति के नाम पर स्थलीय निरीक्षण किए बिना जांच किए मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी स्थलीय आख्या (Status Report) तैयार कराकर दिनांकित 22.11.2021 को मा. न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित कर दी थी। मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को उक्त स्थलीय आख्या

पेज नं. 2

नरेन्द्र कुशवाहा

(Status Report) की सत्यता बताने के लिए हम याचिकाकर्ताओं ने साक्ष्यों के साथ आपत्ति प्रेषित की थी। उपरोक्त स्थलीय आख्या और आपत्ति में दिये गए साक्ष्यों की पुष्टि करने के लिए मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2022 को MoEF&CC, CPCB, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, विभाग की एक संयुक्त समिति का गठन कर वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 एवं संभागीय आयुक्त, झाँसी, मौके का निरीक्षण, संबंधित अभिलेखों की जांच कर दो महीने के भीतर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया है।

5. यह कि मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली। के आदेश दिनांक 25 जनवरी 2022 के क्रम गठित की गई समिति द्वारा की जा रही जांच व कार्यवाही में पूर्व पारित आदेश दिनांक 12 जुलाई 2021 के क्रम में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई स्थलीय आख्या दिनांकित 22 नवम्बर 2021 और स्थलीय आख्या देने वाले अधिकारीगण जांच के घेरे में आ जाने और प्रार्थी द्वारा उपरोक्त केसों में साक्ष्य प्रेषित करने हेतु आरटीआई के तहत झांसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, कार्यालय जिलाधिकारी झांसी और कार्यालय मंडलायुक्त झांसी के जन सूचना अधिकारियों से सूचनाएं मांग कर साक्ष्य इकट्ठा करने आरटीआई दायर कर दी जिसके कारण तथाकथित स्थलीय आख्या दिनांकित 22 नवम्बर 2021 प्रेषित करने वाले समस्त सदस्य और जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, ए.टी.पी. जितेन्द्र सिंह एवं जेडीए के अन्य अधिकारी–कर्मचारी जो अवैध निर्माण कराने में संलिप्त और अवैध निर्माणकर्ता याचिकाकर्ताओं से व्यक्तिगत रजिंश रखने लगे है। ये सभी प्रार्थी और सहयोगी याचिकाकर्ताओं को पैरवी करने से रोकने के लिए कई माध्यमों से परेशान कर रहे है और उपरोक्त की बात प्रार्थी द्वारा न मानने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है। जिसका शिकायती पत्र दिनांक 25.02.2022 को हम याचिकाकर्ताओं ने श्रीमान् मंडलायुक्त महोदय, झांसी व श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी व श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय, जिला झाँसी, को दिया गया था।

6. यह कि दिनांक 13 मार्च 2022 को सुबह लगभग 11:55 बजे जब प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा व प्रार्थी के पिता व भाई घर पर नहीं थे तभी रंजिशन मानने वाले जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव, त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह व जेडीए के अज्ञात अधिकारियों–कर्मचारियों के साथ पुलिस लेकर प्रार्थी के घर पर आये और प्रार्थी का नाम लेकर धमकी देने लगे और जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित ने पुलिस वालों से डंडा लेकर प्रार्थी के घर पर लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया और दूसरा सीसीटीवी कैमरा पुलिस कर्मियों ने डंडा मारमार कर तोड़ दिया जब तक कैमरे टूटे नहीं तब तक इन लोगों की पूरी फिल्म कैमरे में रिकॉर्ड होती रही, कैमरे तोड़ने के बाद पदनीयती से जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित प्रार्थी घर के अन्दर बुरी नियत से प्रार्थी की माता व महिलाओं को ढक्का देते हुए व झंझोरते हुए जेडीए के कर्मचारियों के साथ कमरों के अन्दर घुस कर प्रार्थी को तलाशा महिलाओं के द्वारा रोकने पर आंतरिक शारीरिक सम्पर्क कर आपराधिक बल का प्रयोग महिलाओं के साथ किया, जिससे उन महिलाओं की लज्जा भंग हुई। उपरोक्त की घर में घुसने तक की घटना सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देखा जा सकता है।

7. यह कि जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह और जेडीए के अधिकारियों–कर्मचारियों की ये सरकारी ड्यूटी नहीं है कि वे महिलाओं गंदी गंदी गालियां दें, जान से मारने की धमकी दें, सबूत मिटाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा तोड़े, प्रार्थी के घर की महिलाओं को बदनियती से पकड़े, महिलाओं की लज्जा भंग करें, इस प्रकार झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह और उक्त घटना में संलिप्त जेडीए के अधिकारियों–कर्मचारियों व साथ आये अज्ञात पुलिस कर्मियों ने जघन्य, संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टता कारित किया गया है। इन अधिकारीगणों ने सरकारी पदीय कर्तव्य से हटकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए पदीय कर्तव्यों के विमुख

पेज नं. 3

नरेन्द्र कुशवाहा

अपराध कारित किया है। अभी तक इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नही की गई है। घटना की दिनांक से लगातार प्रार्थी ने पुलिस एवं अधिकारियों को जा जाकर शिकायतें दी।

उपरोक्त गंभीर घटना की शिकायतें एवं सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज फोटो जिसमें कैमरे इन लोगों द्वारा तोड़ते हुये दिखाया जा रहा है। संलग्न है।

8. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित आदि द्वारा 13 मार्च 2022 को प्रार्थी के घर किये गए आपराधिक कृत्य से बचने और प्रार्थी पर दबाव बनाने व क्रॉस केस करने के लिए झूठी घटना दिखाकर प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा व प्रार्थी के पिता श्री मुन्नालाल कुशवाहा व भाई अरविन्द कुशवाहा और पुत्र निखिल कुशवाहा के खिलाफ दिनांक 14.03.2022 की फर्जी/झूठी घटना बनाकर एक हरिजन व्यक्ति (अवैध निर्माणकर्ता) विनोद वंसकार पुत्र उत्तम सिंह निवासी नारायण बाग पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी से फर्जी/झूठा शिकायत पत्र में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता व भाई और पुत्र द्वारा अवैध मांग, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, घर में घुसकर गाली गलौच, मारपीट की झूठी घटना तैयार कराकर दिनांक 16.03.2022 को थाना नबाबाद में अपराध संख्या-114/22 धारा-323, 504, 506, 452, 387 आई.पी.सी. व 3(2) एस. सी./एस.टी. एक्ट की दर्ज करा दी, इस झूठे मुकदमे से प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को गहरा सदमा व इन्जरा पहुंची है। जबकि प्रार्थी द्वारा मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में की गई शिकायत और पारित आदेश में अवैध निर्माण करने वालों में प्रार्थी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने वालों के नाम अंकित है और उनके अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित है।

9. यह कि झांसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर विनोद वंशकार आदि द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को रोकने हेतु झांसी विकास प्राधिकरण कि ओर से दिनांक 30.01.2020 को थानाध्यक्ष, नवाबाद झांसी को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 के तहत पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर पुलिस और जेडीए द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा शिकायतें पुलिस और जेडीए में की गई थी इसके बावजूद पुलिस और जेडीए ने विनोद वंशकार के द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को रोकने की कार्यवाही नहीं की जिससे विनोद वंशकार प्रार्थी से रंजिश रखने लगा था। इसी कारण से विनोद वंशकार जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित के कहने पर प्रार्थी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार हो गया और प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ थाना नवाबाद में झूठा मुकददमा दर्ज करा दिया है।

10. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, ए. टी.पी. जितेन्द्र सिंह आदि ने विनोद वंसकार एवं उसके साथियों को रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रेरित किया है। और आश्वासन दिया है कि उनके अवैध निर्माण गिराये नहीं जायेगें। वे नरेन्द्र कुशवाहा के पूरे परिवार के खिलाफ एस.सी./एस.टी. एक्ट की रिपोर्ट लिखवा दें। इस तरह षड्यंत्र कर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गयी है। जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का पुलिस उत्पीड़न किया जा सके। और प्रार्थी मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में दर्ज उपरोक्त केसों में पैरवी करने से रोका जा सके।

11. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित आदि द्वारा 13 मार्च 2022 को प्रार्थी के घर किये गए आपराधिक कृत्य से बचने और प्रार्थी पर दबाव बनाने हेतु प्रार्थी पर क्रॉस केस करने के लिए जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने अवैध निर्माणकर्ता विनोद वंसकार पुत्र उत्तम सिंह से झूठी घटना तैयार कराकर दिनांक 16.03.2022 को थाना नबाबाद में अपराध संख्या-114/22 धारा-323, 504, 506, 452, 387 आई.पी.सी. व 3(2) एस.सी./एस.टी. एक्ट की दर्ज करा दिया गया है।

पेज नं. 4

नरेन्द्र कुशवाहा

12. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह आदि की मिलीभगत से अवैध निर्माण करने और कराने वाले सुदीप कुमार दीक्षित उर्फ महाराज (जो सदर विधायक रवि शर्मा का खास व्यक्ति बताता है) ने पूर्व में प्रार्थी से कहा है कि मुझे विधायक रवी शर्मा जी अपना छोटा भाई मानते है, विधायक जी के कहने पर मैं अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों से 30000/– तीस हजार रुपये निर्माण करने के और छत डालने के 50000/– हजार रुपये जेडीए सचिव को दिलाता हूं जेडीए सचिव इन रुपयों का हिस्सा उपाध्यक्ष सहित शासन प्रशासन में भेजते है। ताकि इन अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही न करने पड़े, जिसमें विधायक जी को और मुझे कमीशन मिलता है। प्लाट बेचने वाले व्यक्तियों से रुपया लेकर विधायक जी के द्वारा सरकारी योजनाओं के जरिए नाली, सड़क, बिजली, पानी के विकास कार्य सरकारी विभागों से कराये है। अभी हाल ही में सुदीप कुमार उर्फ महाराज और अर्जुन कुशवाहा ने मुझको धमकी देकर कहा कि जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने कहा है कि तुम लोगों को अपने निर्माण बचाने है तो विधायक जी से कहो कि एनजीटी में शिकायत और पैरवी कर रहे नरेन्द्र कुशवाहा को रोकें और अगर नहीं मानता है तो उसे जान से मरवा दो, तुम्हें जान से मारने के लिए विधायक जी के कहने पर मैने और अर्जुन कुशवाहा ने प्लाट बेचने और निर्माण करने वाले व्यक्तियों से दस लाख रुपया चंदा जोड़ा है, अगर तुमने एनजीटी में शिकायत और पैरवी करना बंद नहीं किया तो ये रुपया देकर विधायक जी द्वारा सुपारी दिलवाकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मरवा देंगे। नगर पार्क की भूमि को आवासीय भूमि बताकर प्लाट बेचने व अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के द्वारा मा. एनजीटी में शिकायत करने वाले हम शिकायतकर्ताओं को पैरवी करने से रोकने के लिए कई माध्यमों से परेशान किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

13. यह कि झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मैदान, पार्को और तालाब आदि की भूमियों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण कराने में उन पुलिस कर्मियों की भी मिलीभगत होती है, जिन्हे अतिक्रमण व अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारी के बावजूद उन पुलिस कर्मियों द्वारा अतिक्रमण व अवैध निर्माणों को न तो रोका जाता और नाही अतिक्रमणकर्ताओं व निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है।

14. यह कि प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार को दिनांक 14.03.2022 को सुबह 10:30 बजे विनोद वंसकार के घर नारायण बाग पिछोर में जबरन घुसने, जबदस्ती जेब से 5000/–रूपये निकालने व 100000/–रूपये की मांग करने, जाति सूचक शब्दों के लिए घटना बतायी गयी है। जबकी प्रार्थी स्वयं झूठी घटना में दर्शाय गये समय पर कचहरी में अधिवक्ता बी.एल. भास्कर के बस्ते पर मौजूद था। प्रार्थी के मोबाईल की लोकेशन एवं कचहरी के सी.सी.टी.वी. कैमरा में प्रमाण के तौर पर मौजूद है। इसके अलावा झूठी घटना में दर्शाय गये प्रार्थी का पुत्र निखिल कुशवाहा घटना में दर्शाय गये समय पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्वालियर रोड, झांसी पर स्थित कार्यालय में उपस्थित था। जिसको कार्यालय के सी.सी.टी.वी. फुटेज में देखा जा सकता है। प्रार्थी के पिता सब्जी का ठेला लेकर गुमनावारा, पिछोर में फेरी लगाकर सब्जी बेच रहे थे तथा भाई अरविन्द पैरा मेडीकल के पास लाईट फिटिंग का कार्य कर रहा था। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता, भाई और पुत्र उपरोक्त घटना में दर्शाय गये समय पर घटना स्थल पर नहीं थे। सभी के मोबाईल फोन लोकेशन व फुटेज विवेचक द्वारा लेने व देखने जाने पर पूरी घटना झूठी होने की सच्चाई व झूठी घटना सामने आ जायेगी।

15. यह कि उपरोक्त घटनाओं से संबंधित सभी व्यक्तियों के मोबाइल फोन लोकेशन व मुवमेंट की CDR एवं सीसीटीवी फुटेज वरामद कर, जांच करना अति आवश्यक है क्योकि इलेक्ट्रोनिक्स

पेज नं. 5

नरेन्द्र कुशवाहा

साक्ष्य झूठ नहीं बोलते है, इनको विवेचक विवेचना में गंभीरता से जांच का हिस्सा बनाएं। और इस प्रार्थना पत्र व संलग्न साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया जाये।

16. यह कि दिनांक 16.03.2022 को थाना नवाबाद में दर्ज झूठे अपराध संख्या–114/2022 के षड्यंत्र में संलिप्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए, उक्त सभी व्यक्तियों के मोबाइल फोन लोकेशन व मुवमेंट की CDR एवं सीसीटीवी फुटेज बरामद कर, जांच करना व विवेचना किया जाना अति आवश्यक है।

17. यह कि मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में दर्ज वादों और फाइल की गई आर.टी. आई में पैरवी करने से रोकने के लिए दिनांक 13 मार्च 2022 को जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित द्वारा कारित की गई आपराधिक घटना के बाद से लगातार जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी के घर पर ईटों, गुम्मों से हमला कराया जा रहा है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को निःशुल्क सुरक्षा दिलाये जाने एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

श्रीमान् जी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में प्रार्थी द्वारा की गयी कार्यवाही के बदले की भावना के कारण उपरोक्त एफ.आई.आर. अपराध संख्या–114/22 थाना नबाबाद में प्रार्थी व प्रार्थी के पूरे परिवार के विरुद्ध दर्ज कराई गयी है। उसकी निष्पक्ष विवेचना पुलिस अधीक्षक (नगर) साहब की निगरानी में कराकर निरस्त कराने की कृपा करें। एवं दिनांक 13 मार्च 2022 अपराधिक कृत व दिनांक 14.03.2022 की झूठी घटना दिखाकर दिनांक 16.03.2022 को थाना नबाबाद में झूठा अपराध संख्या–114/22 दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संजय अपराधिक धाराओं में प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर उच्च स्तरीय निष्पक्ष व स्वतंत्र स्पेशल टीम द्वारा निष्पक्ष, प्रॉपर, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी व वैज्ञानिक विवेचना सुनिश्चित कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

अतः श्रीमान् जी प्रार्थी द्वारा आग्रह प्रार्थना है कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, ए.टी.पी. जितेन्द्र सिंह व जेडीए के अज्ञात अधिकारियों–कर्मचारियों ने दिनांक 13.03.2022 को घर पर जाकर उपरोक्त घटना की जिसके प्रमाण में संलग्नक सी.सी.टी.वी. कैमरा की फुटेज की फोटो है। इस जघन्य अपराध एवं प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ थाना नबाबाद में झूठी रिपोर्ट कराने वालों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त लोगों के खिलाफ दर्ज किये जाने की कृपा करें।

श्रीमान् जी महान कृपा होगी।

दिनांक 23.03.2022

सलंग्न :–

1. एफ.आई.आर 114/2022
2. मा. एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2022
3. जेडीए पत्र दिनांक 30.01.2020
4. प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2022
5. प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2022
6. प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2022 (2)
7. प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2022
8. टाइमलाइन से ली गई प्रार्थी के मोबाइल की लोकेशन
9. दिनांक 13.03.2022 व 15.03.2022 घटना की फोटो

प्रार्थी

नरेन्द्र कुशवाहा

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा
(आर0टी0आई0/सामाजिक कार्यकर्ता)
नि0–पिछोर, थाना–नवाबाद, झांसी
मो0न0 9452041529

प्राप्ति प्रति 25.2.202

सेवा में,

1. श्रीमान् मंडलायुक्त महोदय, झांसी।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी।
3. श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय, जिला झाँसी।

विषय :– जान माल की सुरक्षा कराये जाने के संबंध में,

महोदय,

झांसी महानगर के पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु शासन द्वारा झाँसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि को जिला प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से भू–माफियाओं द्वारा आवासीय भूमि बताकर प्लाट बेच रहे थे। जिसकी शिकायतें झांसी महानगर वासियों द्वारा शासन–प्रशासन व मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में की गई है, उक्त शिकायतों पर ओ.ए. संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय व एड. बी. एल. भास्कर व नरेन्द्र कुशवाहा व प्रदीप कुमार नामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किये है। जिसमें मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा केंद्रीय व राज्य स्तर पर टीम गठित कर जांच व कार्यवाही हेतु आदेश पारित किए गए है।

जिसके कारण नगर पार्क की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति पैरवी कर रहे हम शिकायकर्ताओं से रंजिश मानने लगे है, अभी हाल ही में सुदीप कुमार उर्फ महाराज और अर्जुन कुशवाहा ने नरेन्द्र कुशवाहा को धमकी देकर कहा कि जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने कहा है कि तुम लोगों को अपने निर्माण बचाने है तो विधायक जी से कहो कि एनजीटी में शिकायत और पैरवी कर रहे नरेन्द्र कुशवाहा को रोकें और अगर नहीं मानता है तो उसे जान से मरवा दो, तुम्हें जान से मारने के लिए विधायक जी के कहने पर मैने और अर्जुन कुशवाहा ने प्लाट बेचने और निर्माण करने वाले व्यक्तियों से दस लाख रुपया चंदा जोड़ा है, अगर तुमने एनजीटी में शिकायत और पैरवी करना बंद नहीं किया तो ये रुपया देकर विधायक जी द्वारा सुपारी दिलवाकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मरवा देंगे।

गत दिवस 21.02.2022 शाम 6 बजे घर आते समय निज निवास से पहले एक महिला पुरूष प्रार्थी (गिरजा शंकर राय) का नाम लेते हुये मिले और प्रार्थी का मोबाइल नम्बर माँगा जिस पर मिसकॉल का मैसेज आया प्रार्थी को जो अपना गलत नाम बताया मोबाइल मिसकॉल से जतनम बंससमत पर नाम आया डॉ मंगल रायकवार के नाम से आ रहा है। अपने साथ महिला से कहा पहचान लो यही गिरजा शंकर राय है इनका हम सब सम्मान करेगे। जब प्रार्थी द्वारा पूछा गया किस बात का सम्मान करेगे। महिला व पुरूष एक साथ कहने लगे तुमने हमारे मकान तुडवाने के लिए एनजीटी में शिकायत की है अब हम तुम्हे तुडवा देगे। प्रार्थी यह बात सुन घबरा गया पुछा ऐसा क्यो कह रहे

....2

28/2/22

हो तब प्रार्थी को बताया कि हमसे नगर निगम और जेडीए के अधिकारियों ने कहा है कि अगर तुम लोगों को अपने निर्माण बचाने है तो एनजीटी में इस मामले की पैरवी कर रहे गिरजा शंकर राय, बी.एल. भास्कर, नरेन्द्र कुशवाहा, प्रदीप नामदेव को किसी भी तरह पैरवी करने से रोको तभी तुम लोगो के अवैध निर्माण बचेंगे। हम तुम्हे समझाने आये है। अगर अब तुम लोगो ने कोई शिकायत या एनजीटी में अवैध निर्माणों के खिलाफ पैरवी की तो हम तुम सबको देख लेगे जो अशब्द अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए कहां कि जहाँ तुम लोग मिलोगे वहीं तुम लोगों को मारेंगे। प्रार्थी किसी तरह जान बचाकर भागा।

यदि एनजीटी में पैरवी कर रहे प्रार्थी एवं एडवोकेट श्री बी.एल. भास्कर, श्री नरेन्द्र कुशवाहा, श्री प्रदीप नामदेव जी के साथ या हम लोगों के परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के साथ–साथ झांसी प्रशासन की होगी।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही करने एवं एनजीटी में पैरवी कर रहे प्रार्थी एवं एडवोकेट श्री बी.एल. भास्कर, श्री नरेन्द्र कुशवाहा, श्री प्रदीप नामदेव जी के साथ या हम लोगों के परिवार की जान माल की सुरक्षा करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक 23.02.2022

भवदीय

(गिरजा शंकर राय पुत्र स्व. श्री सेवा राम राय)
मकान न. 201 वार्ड न.24 सिमराहा
थाना सदर, बाजार झाँसी।
मोबाइल न. 9935816550

(एडवोकेट बी.एल. भास्कर)
एन.ए.सी. कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट के
गेट नं 1 के सामने, कचहेरी झांसी।
मोबाइल न. 9453665795

नरेन्द्र कुशवाहा
(आर.टी.आई / सामाजिक कार्यकर्ता)
निवासी– पिछोर, थाना नबावाद, झांसी (उ.प्र.)
मो. 9452041529

(प्रदीप कुमार नामदेव पुत्र श्री वैदेही शरण)
अशोक नगर मोठ, जिला झांसी।
मो. 9450503059

25 FEB 2022

RU245170835IN IVR:8285245170835
RL JHANSI H.O <284001>
Counter No:3,25/02/2022,12:58
To:SSP ,POLICE LINE JHANSI
PIN:284001, Jhansi H.O
From:GIRJA SHANA,WARD 24 SIMRAHA
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU245170977IN IVR:8285245170977
RL JHANSI H.O <284001>
Counter No:3,25/02/2022,12:58
To:DM OFFICE ,JHANSI
PIN:284001, Jhansi H.O
From:GIRJA SHANA,WARD 24 SIMRAHA
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU245170844IN IVR:8285245170844
RL JHANSI H.O <284001>
Counter No:3,25/02/2022,12:58
To:AYUKT JHANSI ,CIRCUIT HOUSE JH
PIN:284003, Sipri Bazar S.O
From:GIRJA SHANA,WARD 24 SIMRAHA
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

15.03.2022

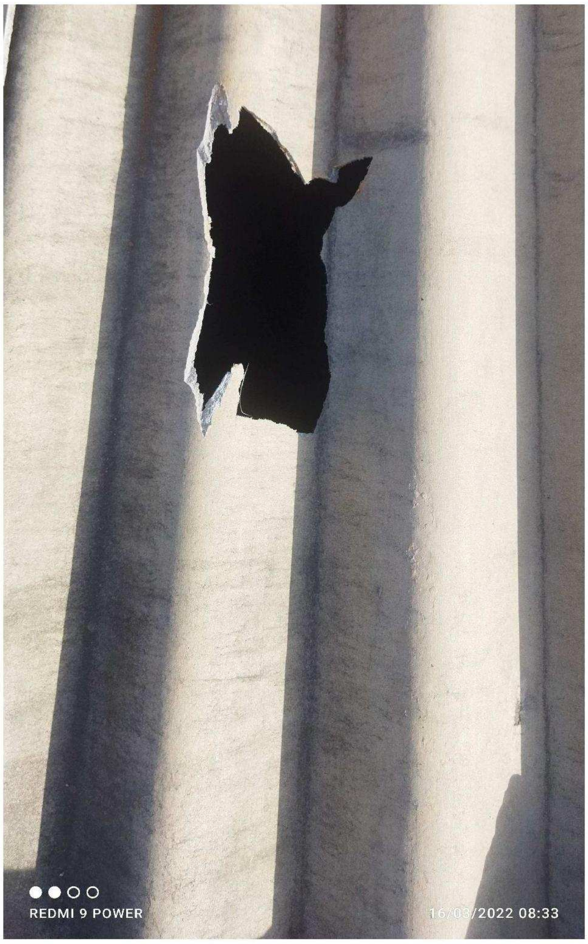
REDMI 9 POWER
16/03/2022 08:33

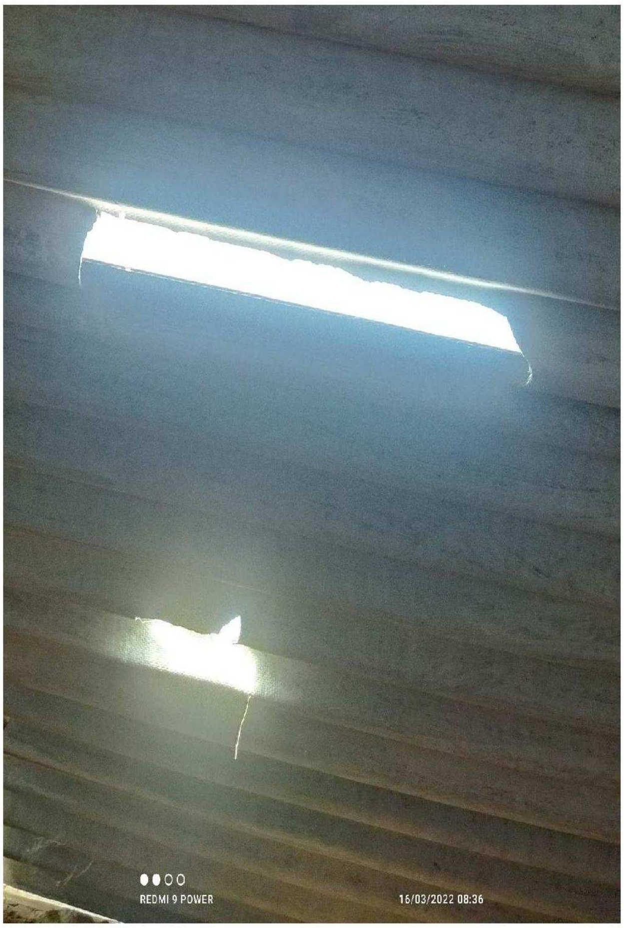
REDMI 9 POWER
16/03/2022 08:36

REDMI 9 POWER
16/03/2022 08:36

16/03/2022 08:33

13.03.2022

03-13-2022 Sun 12:03:42
Camera 01

03-13-2022 Sun 12:04:56
Camera 01